**भारत सरकार**
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या- 2158**
**गुरूवार, 21 दिसंबर, 2023/30 अग्रहायण, 1945 (शक)**

**औपचारिक रोजगार सृजन की गति**

**2158. श्री धीरज प्रसाद साहू:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार औपचारिक रोजगार सृजन के कामकाज और गति की निगरानी के लिए क्या उपाय कर रही है;
(ख) औपचारिक रोजगार सृजन की धीमी गति को तेज करने के लिए सरकार द्वारा क्या नीतियां, योजनाएं या अन्य उपाय किए गए हैं; और
(ग) युवा कामगारों, विशेषकर युवा स्नातकों के लिए श्रम की कम मांग की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**
**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**
**(श्री रामेश्वर तेली)**

(क) से (ग): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से वर्ष 2017-18 से एकत्र कर रहा है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2020-21 और वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), क्रमशः 52.9% और 56.0% था जो कि, और यह पिछले कुछ वर्षों में रोजगार की प्रवृत्ति की बढ़त को दर्शाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंकडें, औपचारिक क्षेत्र के मध्यम और बड़े प्रतिष्ठानों के कामगारों को कवर करते हैं। ईपीएफओ सितंबर, 2017 से अपने मासिक पेरोल आंकडें प्रकाशित कर रहा है जो औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के स्तर का अंदाजा देते हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान ईपीएफ अंशधारकों में शुद्ध वृद्धि वर्ष 2021-22 के दौरान 1.22 करोड़ की तुलना में बढ़कर 1.38 करोड़ हो गई है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में, रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

ढांचागत और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष, 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में की गई यह पर्याप्त वृद्धि, सरकार के प्रयासों का केंद्र बिन्दु है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके।

देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को शुरु से आखिर तक सहायता प्रदान करने के लिए, दिनांक 17 सितंबर, 2023 को, पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य, अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले विश्वकर्माओं द्वारा पारंपरिक कौशल की गुरु-शिष्य परंपरा या परिवार-आधारित प्रैक्टिस को मजबूत और पोषित करना है। पीएम विश्वकर्मा का मुख्य फोकस कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों तथा सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हों।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार द्वारा, वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

सरकार, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत विभिन्न कदम उठा रही है, इस पहल को, देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में नवाचार, स्टार्टअप और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने के लिए, दिनांक 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था।

'मेक इन इंडिया' पहल, दिनांक 25 सितंबर, 2014 को निवेश की सुविधा, नवाचार को बढ़ावा देने, श्रेणी के बुनियादी ढांचे में सर्वश्रेष्ठ निर्माण और भारत को विनिर्माण, डिजाइन तथा नवाचार के लिए एक केंद्र बनाने के लिए शुरू की गई थी। एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र का विकास भारत सरकार की प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। अपनी शुरूआत से ही 'मेक इन इंडिया' पहल ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हांसिल की हैं और वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित है जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में लागू किया गया है।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें, रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कौशल भारत मिशन के तहत, देश भर में युवाओं के कौशल आधारित प्रशिक्षण के लिए (अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) पाठ्यक्रमों और पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित युवाओं सहित) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमकेवीवाई के तहत, एसटीटी प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ है, जबकि आरपीएल प्लेसमेंट को अनिवार्य नहीं करता है क्योंकि यह उम्मीदवार के मौजूदा कौशल को पहचानता है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****